तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-7-25	**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर** राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 36/2022 (2022/126) अशोकसिंह बनाम गंगादेवी वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी की कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि वाके ग्राम बोरानाड़ा तहसील झंवर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 173/7 रकबा 0.0819 बीघा आई हुई है जिस पर प्रार्थी तथा अप्रार्थीनी संख्या एक बहैसियत खातेदार के काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बोरानाड़ा तहसील लूणी वर्तमान झंवर के खसरा नम्बर 173 से 173/9 का जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे में दर्ज तरमीम अनुसार मौके पर सीमांकन तथा पत्थरगढी किये जाने का निवेनद किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार झंवर को मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार झंवर के पत्रांक/कोर्ट/2024/276 दिनांक 27.06.2024 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बोरानाड़ा के खसरा नम्बर 173 रकबा 3.2294 हैक्टेयर गैर मुमकिन औधोगिक एवं खसरा नम्बर 173/1 रकबा 3.2294 हैक्टेयर गैर मुमकिन औधोगिक रीको बोरानाड़ा औधोगिक क्षेत्र चतुर्थ चरण के खाते में दर्ज है। खसरा नम्बर 173 के दो ही विभाजित नम्बर 173 व 173/1 जमाबंदी एंव ऑनलाईन नक्शे में दर्ज है दोनो खसरे रीको बोरानाड़ा के खाते में दर्ज है। अप्रार्थीगण के नाम वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी अनुसार ग्राम बोरानाड़ा के खसरा नम्बर 173 एवं उनके विभाजित नम्बर में नाम दर्ज नहीं है। प्रार्थी के आवेदन अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती सीमाकंन पत्थरगढी किया जाना सम्भव नहीं होना बताया गया। अतः तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरों में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का रेकर्ड में नाम नही होने तथा वर्तमान में उक्त खसरे रीको बोरानाड़ा के नाम दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफत्र हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	